POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.12.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा फर्जी शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 5.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी व अन्य अभियोग में 55,00,000 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 01 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18/12/2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए फर्जी शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 01 शातिर साइबर अपराधी मौ0 फैजान पुत्र कासिम को जिला संभल से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 30/10/2025 को सेक्टर-50 नोएडा निवासी वादिया मुकदमा ने थाना साइबर क्राइम आकर सूचना दी कि वादिया मुकदमा से व्हाट्सएप के माध्यम से सम्पर्क कर व उसको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कराकर लाभ कमाने का झांसा देकर 5.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गयी और धोखाधड़ी की धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर की गयी थी। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 117/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त थाना साइबर क्राइम नोएडा के एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0 109/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट में 55,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की घटना में अभियुक्त फैजान का सम्मिलित होना पाया गया है।

अभियुक्त के बैक खाता के विरुद्ध महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल,केरल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में 15 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज है। मु0अ0सं0 117/2025 में पूर्व में 02 अभियुक्त साहब सिंह व नीरज को 28/11/2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त/खाताधारक मौ0 फैजान ने अपराध संख्या 117/2025 के सम्बन्ध में बताया कि मेरा संपर्क मेरठ निवासी चरणजीत से हुआ था जो करंट खाता उपलब्ध कराने के बदले अच्छी कमीशन देते था। लालच में आकर मैंने करेंट खाता(बैक ऑफ बड़ौदा) एटीएम, चेक बुक चरणजीत को दे दिया था। अगस्त 2025 में मुझे दिल्ली बुलाकर होटल में 03 दिन तक रुकवाया गया था। करंट खाता उपलब्ध कराने के बदले 50,000 रुपये मिले थे। मुकदमा अपराध संख्या 109/2025 धारा उपरोक्त के सम्बन्ध में बताया कि एक दिन मैं किसी काम से कड़कड्डूमा कोर्ट दिल्ली गया था वहीं पर मेरठ निवासी चरणजीत मिल था जो

अपने को वकील बाता रहा था, उसने मुझे करंट खाता उपलब्ध कराने पर खाते में आने वाली धनराशि का 10 प्रतिशत लाभ देने का लालच दिया था। अगस्त 2025 में मुझे नोएडा बुलाया था, करंट खाता (बैक आफ बड़ौदा) उपलब्ध कराने के बदले मुझे 25,000 रुपये मिले थे। विवेचना से प्राप्त तथ्यों/साक्ष्य से पाया गया कि अभियुक्त के खाते में मुकदमा उपरोक्त व अन्य शिकायतों से सम्बन्धित कुल 70,00,000 रुपये की धनराशि अभियुक्त के बैंक खाते में आयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

मौ0 फैजान पुत्र कासिम निवासी शाहपुर सिरपुरा थाना एचोडा कम्बोह जिला संभल उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

01 एंड्रॉयड मोबाईल फोन

अभियुक्त का आपराधिक विवरण--

1. मु0अ0सं0 117/2025 धारा 318(4),319(2),61(2) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 109/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0151/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना एचोडा कम्बोह जनपद संभल

साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. अपना आधार की आई0डी0, पेन कार्ड या अपना बैंक खाता किसी अंजान को न दे।
3. अंजान ब्यक्ति द्वारा शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट कर लाभ कमाने का लालच देने वाले साइबर अपराधियों की बात पर विश्वास न करें। सदैव प्रमाणित शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट करें।

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफार्म में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम 3 करोड रूपये की धोखाधड़ी/ ठगी मे संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18-12-2025** को **साइबर थाना नोएडा** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0-129/2025 धारा 318(4), 319(2) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट से सम्बन्धित 03 करोड रूपये की धोखाधडी करने मे सम्मिलित एक अन्य अभियुक्त आमेन्द्र शाक्य पुत्र किशनपाल खाताधारक को जिला बदायूँ से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण--वादी मुकदमा ने दिनांक 20.11.2025 को मु0अ0सं0-129/2025 धारा 318(4), 319(2) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी मुकदमा से एक महिला द्वारा फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर विश्वास कायम करके फर्जी प्लेटफार्म पर इन्वेस्टमेन्ट कर कम समय मे अधिक लाभ कमाने का लालच देकर विभिन्न खातो मे 03 करोड रूपये ट्रॉसफर कराकर धोखाधडी की गयी। जिससे संदिग्ध खातो पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रीज कराया गया। उक्त अभियोग मे पूर्व मे 02 अभियुक्तों तेजपाल व रूपेन्द्र की गिरफ्तारी की जा चुकी है

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त/खाताधारक ओमेन्द्र शाक्य के द्वारा बताया गया कि मेरे पडोसी गांव के तेजपाल जिसका सम्पर्क मुम्बई स्थित कुछ लोगो से है, जो कि करेन्ट खाता उपलब्ध कराने के बदले कमीशन देते है जिससे तुम अपने खाते मे आयी धनराशि के बदले अच्छी कमाई कर सकते हो, इस बात मे लालच मे आकर मैने अपने काजगात जीएसटी फर्म बनवाने के लिये तेजपाल को दे दिये, जिसके बाद तेजपाल के द्वारा मेरी फर्म से सम्बन्धित कागजात बनवाये गये, उक्त कागजात के द्वारा मैने बैक ऑफ बडौदा मे खाता खुलवाया, तथा उस खाते को लेकर तेजपाल के दोस्त रूपेन्द्र के साथ मुम्बई चला गया। खाता खोलने के मुझे 50000 रूपये प्रदान किये गये । मुम्बई में 07 दिन तक रहा, तथा 07 दिन बाद मुझे 50000 रूपये दिये गये। इस प्रकार खाताधारक अभियुक्त को अपने करेन्ट खाते के बदले 01 लाख रूपये मिले। विवेचना से प्राप्त तथ्यो/साक्ष्य से उक्त खाते मे करीब 01 करोड रूपये आना पाया गया। एनसीआरपी पोर्टल पर खातो के सम्बन्ध मे उ0प्र0, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यो में 05 शिकायते दर्ज होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- आमेन्द्र शाक्य पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम डौरी नरोत्तमपुर थाना सिविल लाईन बदायूँ, यूपी, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-- एक फोन टेक्नो कम्पनी

साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजी INVESTMENT संबंधी EMAIL, LINK को बिना जांच न खोले।
2. निवेश संबंधी विवादों के लिए सेवी की आधिकारिक WEBSITE पर सर्च करे।
3. किसी भी अज्ञात Telegram/Whatsapp Group में न जुडें, और उस ग्रुप में चल रही इन्वेस्टमेन्ट के मुनाफे की बात पर यकीन न करें।
4. Telegram/Whatsapp Group में किसी भी सदस्य द्वारा निवेश के बाद मोटे मुनाफे की बात कही जा रही है तो उक्त बात पर यकीन न करें।Share trading/ IPO में निवेश केवल बैंक/विश्वसनीय डीमेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही करें।

3. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 10 मोटर साइकिल व 02 चाबी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा दिनांक **18.12.2025** को एक वाहन चोर अभियुक्त अजय पुत्र विजय निवासी ग्राम कियावली थाना उघैती जनपद बदायूं उ0प्र0 हाल पता गली न0-2 राहुल विहार 25 फुटा थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 उम्र करीब 31 वर्ष को अन्तरा के सामने से सेक्टर-68 की ओर जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है।अभियुक्त के कब्जे से 10 चोरी की मो0सा0 व दो चाबी बरामद की गयी है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त से चोरी के बरामद माल के बारे में बताया कि वह देर रात्रि में सुनसान जगह पर खडे वाहनो से वाहनों के उपकरण चोरी करता है तथा दुपहिया वाहनों को चोरी करके राहगीरों को बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- अजय पुत्र विजय निवासी ग्राम कियावली थाना उघैती जनपद बदायूं उ0प्र0 हाल पता गली न0-2 राहुल विहार 25 फुटा थाना सै0 63 जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 उम्र करीब 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 486/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 547/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

10 मो0सा0 चोरी की

02 चाबी

4. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना/कार्यवाही का विवरण -- दिनांक 27.09.2025 को वादी द्वारा अभि0गण के विरूद्ध धोखा देने व अपराधिक विश्वासघात करने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0 178/2025 धारा 316(2),318(4) बीएनएस बनाम विजय, शिवाशीष मिश्रा व नितिन के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को दिनांक **18.12.2025** को गोपनीय सूचना के आधार पर **थाना सेक्टर-142 पुलिस गौतमबुद्धनगर टीम** द्वारा हरिओम इन डेक्कन वैली तपोवन ऋषिकेश से अभियुक्त शिवाशीष मिश्रा उपरोक्त को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त विजय व नितिन को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त शिवाशीष मिश्रा पुत्र जय ओम मिश्रा व अन्य 02 व्यक्तियो द्वारा संगठित व सुनियोजित तरीके से सोना व धनराशी हडपने का अपराध कारित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा मु0अ0स0 178/2025 धारा 316(2),318(4) बीएनएस ,थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- शिवाशीष मिश्रा पुत्र जय ओम मिश्रा नि0 डी0 31 गणेश नगर पाण्डव नगर काम्पलेक्श गली न ई-1ए नियर अक्षर धाम लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली उम्र 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण-- मु0अ0स0 178/2025 धारा 316(2),318(4) बीएनएस, थाना सेक्टर-142 , गौतमबुद्धनगर।

5. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा टॉवरों से आर0आर0यू0 चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, कब्जे से चोरी के 02 रेडियो रिसीवर यूनिट व 01 तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.12.2025 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा रेडियो रिसीवर यूनिट को चोरी करने वाले 1. निशाद पुत्र आदिल 2. मौ0 कैफ उर्फ नेपाली पुत्र मौ0 कैश को ग्राम छलैरा सेक्टर 44 के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा दो बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। कब्जे से चोरी के 02 रेडियो रिसीवर यूनिट व 01 अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है, बरामदशुदा 02 रेडियो रिसीवर यूनिट थाना सेक्टर 39 क्षेत्र से चोरी किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. निशाद पुत्र आदिल निवासी 80/65 पीएन ब्लाक वेलकम थाना वेलकम दिल्ली उम्र-18 वर्ष
2. मौ0 कैफ उर्फ नेपाली पुत्र मौ0 कैश निवासी 80/54 गली न0 3 पी ब्लाक वेलकम थाना वेलकम दिल्ली उम्र-21 वर्ष
3. दो बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 630/25 303(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

02 रेडियो रिसीवर यूनिट।

एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

01 अवैध चाकू।